संख्या-18/2025/145/छप्पन-2025-56-1009-003-1-2022

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 17 फरवरी, 2025

विषय: राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 10 फरवरी, 2025 से दिनांक 13 फरवरी, 2025 एवं कै0 अक्षय जायसवाल, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 22 फरवरी, 2025 से दिनांक 25 फरवरी, 2025 तक निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड इटली से इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग तथा क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने हेतु यात्रा व्यय की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-13/ना0उ0नि0/आप्स-20/2017, दिनांक 23 जनवरी, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कै० एस०के० गिरि तथा कै० अक्षय जायसवाल, पायलट (रोटर विंग) को इटली में विषयगत अनिवार्य प्रशिक्षण दिलाये जाने के निमित्त प्रशिक्षण शुल्क 26,078 यूरो के मद में वांछित धनराशि रु0 93/- से गणना करते हुए कुल प्रशिक्षण शुल्क रू0 24,25,254/- (कुल रुपये चौबीस लाख पच्चीस हजार दो सौ चौवन मात्र) (13,039 यूरो प्रति पायलट की दर से रु० 93/- से गणना करते हुए कुल प्रशिक्षण शुल्क रू0 12,12,627 /-) व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा विदेश जाने की अनुमति के साथ-साथ वायुयान किराया, दैनिक भत्ता, होटल किराया, चिकित्सा बीमा, वीजा शुल्क एवं यात्रा भत्ता के मद में वांछित धनराशि कुल रू0 5,41,300/- (रु0 2,70,650/- प्रति पायलट) का अग्रिम आहरण करने की भी स्वीकृति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- शासनादेश संख्या-9/2025/76/छप्पन-2025-56-1009-003-1-2022 दिनांक 16 जनवरी, 2025 एवं कार्यालय (शुद्धि पत्र) संख्या-12/2025/102/छप्पन-2025-56-1009-003-1-2022 दिनांक 22 जनवरी, 2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 08 फरवरी, 2025 से दिनांक 15 फरवरी, 2025 (प्रशिक्षण अवधि के अतिरिक्त 04 यात्रा दिवस सम्मिलित करते हुए) एवं कै0 अक्षय जायसवाल, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 20 फरवरी, 2025 से दिनांक 27 फरवरी, 2025 (प्रशिक्षण अवधि के अतिरिक्त 04 यात्रा दिवस सम्मिलित करते हुए) तक निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड इटली से इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग तथा क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने के निमित्त प्रशिक्षण शुल्क के रूप में कुल रू0 24,25,254/- (रू0 12,12,627/-अर्थात् 13039 यूरो प्रति पायलट की दर से जो कि भारतीय मुद्रा में रू0 93/- प्रति यूरो की विनिमय दर से) का अग्रिम भुगतान करने के व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त धनराशि के अग्रिम आहरण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शासनादेश संख्या-7/2025/78/छप्पन-2025-56-1009-003-1-2022 दिनांक 16 जनवरी, 2025 के द्वारा कै0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) को विदेश यात्रा की स्वीकृति तथा शासनादेश संख्या-8/2025/77/छप्पन-2025-56-1009-003-1-2022 दिनांक 16 जनवरी, 2025 के द्वारा कै0 अक्षय जायसवाल, पायलट (रोटर विंग) को विदेश यात्रा की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

2/.....

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 08 फरवरी, 2025 से दिनांक 15 फरवरी, 2025 (प्रशिक्षण अवधि के अतिरिक्त 04 यात्रा दिवस सम्मिलित करते हुए) एवं कै0 अक्षय जायसवाल, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 20 फरवरी, 2025 से दिनांक 27 फरवरी, 2025 (प्रशिक्षण अवधि के अतिरिक्त 04 यात्रा दिवस सम्मिलित करते हुए) तक निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड इटली से इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग तथा क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने के निमित्त प्रशिक्षणार्थियों के विदेश यात्रा में होने वाले अनुषांगिक व्यय (वायुयान किराया, दैनिक भत्ता, होटल किराया, चिकित्सा बीमा, वीजा शुल्क एवं यात्रा भत्ता के मद में) के रूप में धनराशि कुल रू0 5,41,300/- (रु0 2,70,650/- प्रति पायलट) के व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त धनराशि के अग्रिम आहरण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुये महालेखाकार के पुस्तांकित आकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

(3) पायलटों को वायुयान का किराया एवं अन्य सुविधायें अनुमन्य श्रेणी की ही स्वीकृत की जायेगी।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश प्रशासकीय विभाग बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(9) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

4- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या ए-1-2774/ दस-15(1)/69, दिनांक 25.10.1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10.6.2011 तथा शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18.09.2017 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

3/....

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाए तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आँकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाए।

6- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत राजस्व लेखा शीर्षक ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

संख्या-18/2025/145(1)/छप्पन-2025 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।

7- सम्बन्धित पायलट।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।